



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125112

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4013 वर्ष 2026

काली चरण

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विपिन चंद्र पांडे

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री विपिन चंद्र पांडे और राज्य की ओर से विचारण ए.जी.ए.. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड देखा गया।

2. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत दायर की गई है। अपीलकर्ता ने आगरा के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 07.04.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यह आदेश सत्र वाद संख्या 1575/2025 (जो मुकदमा अपराध संख्या 80/2025 से जुड़ा है) में आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1147/2026 पर दिया गया था। यह मामला बीएनएस की धाराओं 191(2), 190, 115(2), 352, 351(3), 127(2) और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(2)(व) के तहत थाना फतेहाबाद, जिला आगरा में दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 03.03.2025 को, जब वे मुरादाबाद से भद्रोली चिलिंग प्लांट लौट रहे थे (अपने टैंकर, रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी-83 बीटी-0784 में), तो बाजिदपुर और प्रतापपुरा के बीच रास्ते में आरोपी मोनू, छोटू पनहार वाली और अपीलकर्ता काली चरण ने 10-15 अज्ञात लोगों के साथ उन्हें रोका। आरोप है कि सभी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। आगे यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें बंधक बना लिया और जबरन अपनी कार में बैठाकर करमाचार फिलिंग स्टेशन ले गए। उन्होंने उनके ट्रक पर भी कब्जा कर लिया और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाए रखा। इसके बाद, उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन संख्या 112 पर कॉल किया, जिसके बाद शाम लगभग 6:45 बजे पुलिस वहाँ पहुँची। बाद में वे पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ इंसपेक्टर ने उन्हें फिलिंग स्टेशन बुलाया। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने कार के अंदर ही उस पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अपीलकर्ता के पास से या उसकी निशानदेही पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है।

वे आगे कहते हैं कि असल बात यह है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता पार्टनर हैं और दोनों ने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मिलकर पार्टनरशिप में टैंकर खरीदा था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने पार्टनरशिप तोड़ दी क्योंकि उसने बकाया रकम का भुगतान नहीं किया था। जब अपीलकर्ता ने अपने बकाया पैसे की मांग की, तो उस पर दबाव बनाने के लिए ही शिकायतकर्ता ने यह एफआईआर दर्ज कराई। वे आगे कहते हैं कि उस दिन पैसे की वापसी को लेकर बहुत शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हुई थी, लेकिन एक सोची-समझी चाल के तहत शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता पर आरोप लगाए और एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान अपीलकर्ता ने पूरा सहयोग किया और जांच के बाद, अपीलकर्ता समेत 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने की जानकारी मिलने पर, अपीलकर्ता खुद संबंधित विचारण न्यायालय के सामने पेश हुआ और जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है। हालांकि आवेदक का कुछ पुराना आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। अपीलकर्ता 07.04.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल अन्य आरोपी व्यक्तियों, यानी देवेंद्र सिंह उर्फ भुल्ला, बॉबी सिंह, यतेंद्र सिंह और जगवीर सिंह को विचारण न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। चूंकि अपीलकर्ता का मामला उन अन्य आरोपियों के मामले से कहीं बेहतर स्थिति में है जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए अपीलकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दूसरी ओर, ए.जी.ए.. ने अपीलकर्ता की ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता ने यह अपराध यह जानते हुए किया कि पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। विवादित आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनी बात नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और विवादित आदेश सहित पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता ज़मानत का हकदार है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करने में गलती की थी। विवादित आदेश में कमियां और कानूनी खामियां हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

9. नतीजतन, अपील सफल होती है और उसे मंजूर किया जाता है। आगरा में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या 1147/2026 में 07.04.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

10. अपीलकर्ता-काली चरण को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या में ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या वादा देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(ii) अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दे दे।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति विचारण न्यायालय के सामने एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर, जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(v) अगर अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और वह ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) अपील करने वाले व्यक्ति को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा शुरू होने पर, (b) आरोप तय होने पर, और (c) धारा 351

बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि ऐसी

किसी तारीख पर उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

(vii) विचारण न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

11. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार परिणाम होंगे और संबंधित न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति को दी गई ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।